मध्यप्रदेश सरकार की अभिनव पहल गाँव की बेटी योजना

*निधि ठाकुर

भारत में पुरूषों की आधुनिक शिक्षा 1815 के ईस्ट इंडिया कम्पनी अधिनियम के पारित होने के साथ प्रारंभ हुई थी किन्तु स्त्रियों की शिक्षा को धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक प्रथाओं तथा उपेक्षा के कारण क्षति उठानी पड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्त्रियों की शिक्षा अधिकांशतः व्यक्तिगत प्रयत्नों पर ही निर्भर थी। शिक्षा में पुरूषों व स्त्रियों के अन्तर के अतिरिक्त प्रणाली में क्षेत्रीय, नगरीय एवं ग्रामीण आधार पर गहरी असमानताएं विद्यमान है।

स्त्री शिक्षा के निरंतर पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुये महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1958–59 ने दूरगामी परिणामों वाली 185 सिफारिशें की, जिनका उद्देश्य महिला शिक्षा को सभी स्तरों पर तथा समस्त प्रकार की महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये एक राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद गठित की गई जिसने दो महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया – हंसा मेंहता समिति तथा भक्त वत्सल समिति लड़कियों की शिक्षा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की उपेक्षा के कारणों को ज्ञात करना तथा जनसमर्थन जुटाने के उपाय सुझाना।

1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्ययोजना में स्पष्ट रूप से गॉव में रहने वाली लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े होने को रेखांकित किया गया तथा सुधारने का सुझाव दिया गया। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश ने गॉव की प्रत्येक बेटी जो प्रतिभा सम्पन्न है ग्रामीण परिवेश से निकलकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, गॉव की बेटी योजना को प्रारंभ कर एक अभिनव पहल किया है।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश क्रमांक एफ–19–7/05/2– अड़तीस भोपाल दिनांक 07–10–2005 को गॉव की बेटी योजना के क्रियान्वयन हेतु चार पृष्ठों का आदेश प्रसारित किया जिसे प्रत्येक संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक ने अपने अधीनस्थ प्राचार्यों को पत्र की प्रति प्राप्ति सहित भेजा है, जिसके नियम निम्नानुसार है :–

(1) गॉव की बेटी योजना पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ लागू होगी।

(2) बालिका को ग्रामवासी होना चाहिए तथा गॉव की शाला में 12वीं तक अध्ययन किया हो।

(3) मध्यप्रदेश की निवासी हो तथा ग्राम में ही रहकर शासकीय शाला से 12वीं
प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हो।

(4) छात्रा अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय में अध्ययन कर उत्तीर्ण हो सकती है किन्तु नगर या नगरीय क्षेत्र की निवासी हो तथा ग्रामीण होने पर भी नगरीय शाला में पढ़ी छात्रा को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा । छात्रा को अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त होने आवश्यक है।

(5) यदि सवोच्च अंक वाली उच्च शिक्षा प्राप्त न कर रही हो तो इसके स्थान पर दूसरी वरीयता प्राप्त कन्या को लाभ मिल सकता है।

(6) प्रारंभ में प्रत्येक गॉव से प्रति वर्ष एक ही छात्रा का चयन किया जाता था किन्तु संशोधन उपरांत 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जायेगा, अतः प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण बालिका ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होगा, उसे ही इस योजना का लाभ प्राप्ति की पात्रता होगी।

(7) योजना में पात्रता हेतु जाति तथा आय का बंधन नहीं होगा।

(8) ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा म0प्र0–भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। केवल इस योजना के लिए नगर पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर माना जावेगा।

(9) छात्रा जिस सत्र में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है उसी सत्र में उसे उच्च
शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेना होगा।

(10) यदि छात्रा 12वीं की कक्षा में पूरक से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो भी वह इस योजना के लिये पात्र होगी।

(11) छात्रा शासन द्वारा प्रदाय छात्रवृत्तियों में एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकती है।

इस योजना की चयन प्रक्रिया अत्यंत सरल है। छात्रा द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर वह इस योजना के लाभ के लिये पात्र हो सकती है।

(1) सर्वप्रथम गॉव की प्रत्येक शाला प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्राओं की एक सूची तैयार करेगी जिसमें छात्रा का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा प्रतिशत अंकित होंगे।

(2) इस मेंरिट सूची को संबंधित गॉव की पाठशाला के प्राचार्य द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपा जाएगा।

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत स्तर पर एक चयन समिति गठित होगी जो निम्नानुसार होगी–

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अध्यक्ष/संयोजक,

2– महिला एवं बाल विकास विभाग के एक प्रतिनिधि – सदस्य,

3– आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि सदस्य,

4– उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि – सदस्य,

5– संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी – सदस्य।

(4) प्रथम श्रेणी सूची के आधार पर समिति गॉव की पाठशाला से छात्राओं को गॉव की बेटी का प्रमाणपत्र जारी करेगी, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लॉक व जिले का उल्लेख होगा।

(5) जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक सादा समारोह प्रतिवर्ष 15 अगस्त को आयोजित किया जायेगा, जिसमें जनपद के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य शासकीय अधिकारी उपस्थित होंगे। इसमें गॉव की बेटी के द्वारा शपथ ली जायेगी कि में

*सहायक प्राध्यापक–समाजशास्त्र, शासकीय क.ने.क.महाविद्यालय बालाघाट (म.प्र.)

अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करूंगी तथा मेंरी उच्च शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जो भी कार्य करूंगी या समाज में जो भी स्थान ग्रहण करूंगी, उसके दौरान में अपने गॉव की अन्य बालिकाओं की शिक्षा के सतर के उन्नयन एवं समाज में उनका स्थान बढ़ाने के लिए सतत् प्रयासरत रहूँगी।

(6) आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि 30 सितम्बर तथा प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि 21 अक्टूबर रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आवेदिका का आवेदन समय–सीमा में प्राप्त होने की स्थिति में प्रमाणपत्र जारी करना सुनिश्चित करें व समय–सीमा में जारी न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(7) समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जायेंगे –

1– शाला के प्राचार्य द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं की सूची,

2– गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु सम्बंधित छात्रा द्वारा आवेदन पत्र,

3– सम्बंधित छात्रा गॉव की निवासी है, इस सम्बंध में सरपंच का प्रमाणपत्र,

4– प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के सम्बंध में शाला प्रमुख का प्रमाणपत्र,

5– जनपद पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाला गॉव की बेटी का प्रमाणपत्र।

उपरोक्त समस्त अभिलेखों का नमूनार्थ प्रपत्र शासन के पत्र के साथ संलग्न किये गये है।

गॉव की बेटी योजना के अन्तर्गत चयनित छात्राओं को मिलनेवाली सुविधाएं व लाभ निम्नांकित है :

(1) गॉव की बेटी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को उच्च शिक्षा एवं इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में लाभ पाने की पात्रता होगी।

(2) उपर्युक्त विभागों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों (जिसमें छात्रा ने प्रवेश पाया है) के लिये निर्धारित शुल्क में छूट की पात्रता होगी। इसके लिए संबंधित विभाग अपने स्तर से संबंधित संस्थाओं को पृथक से निर्देश जारी करेंगे।

(3) उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभग, महिला बाल विकास विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित छात्रावासों में इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को निर्धारित किये गये शुल्क में छूट प्रदान की जाय एवं यदि संभव हो तो इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्रा को छात्रावास में प्रवेश के लिए प्राथमिकता भी दी जाय।

(4) छात्रा को प्रतिमाह 500 रूपये की दर से शैक्षणिक सत्र के लिए 5000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(5) योजना के अन्तर्गत किराये के भवन में रहने पर किराये की पात्रता नहीं होगी।

गॉव की बेटी के चयन को लेकर विवाद की स्थिति में मुक्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के समक्ष चयन के 15 दिवस के अंदर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चयन के विरूद्ध प्राप्त अपील अपने अभिमत एवं संबंधित अभिलेखों के साथ आयुक्त उच्च शिक्षा को निर्णय भेजेंगे। आयुक्त, उच्च शिक्षा का गॉव की बेटी के चयन के सम्बंध में निर्णय अंतिम होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा अतः योजना को क्रियान्वित करने के लिये निम्नांकित कदम उठाये गये :–

(1) प्रत्येक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रथम श्रेणी की छात्राओं की सूची बनावे

(2) यदि कोई छात्रा शेष रह जाती है तो सूचना प्राप्त की जाये ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त कोई भी छात्रा इसके लाभ से वंचित न हो।

(3) कार्यपालन अधिकारी को छात्राओं की सूची भेजकर सत्यापन करवाया जाये। साथ ही छात्राओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को प्राचार्य को प्रेषित किया जावे।

(4) महाविद्यालय के प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को सूची देंगे जिसे साटवेयर में प्रविष्ठ किया जावेगा।

महिलाओं की शिक्षा, ग्रामीण विकास का मूल आधार है। यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। वास्तव में शिक्षा के बहुआयामी और लाभप्रद प्रभाव को ध्यान में रखकर ग्रामीण जीवन में शिक्षा और विशेष रूप से उच्च शिक्षा को वरदान के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा समाज में परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। गॉवों की रूढ़ियों, यातायात के साधनों तथा पृथक कन्या महाविद्यालय आर्थिक अभाव एवं ग्रामीण वातावरण के कारण ग्रामों में लड़कियों को महाविद्यालय भेजने के स्थान पर गृहकार्य में प्रशिक्षित करना श्रेष्ठ माना जाता रहा है किन्तु गॉव की बेटी योजना एक सार्थक व महत्वाकॉक्षी पहल है जो गॉव की बेटी के लिये उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है जिसके द्वारा वे योग्यता का परिचय देकर लक्ष्य प्राप्त कर सकें तथा ग्रामीण व देश के विकास में भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सकें।

संदर्भ गृंथ सूची

1– लवानिया, एम0एम0 (2005) : भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

2– नाटाणी, पी0एन0 (2002) : महिला जागृति और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

3– शर्मा, प्रज्ञा (2001) : महिला विकास एवं सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

4– सिंह, राजवाला (2006) : मानवाधिकार और महिलाएं, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

5– शर्मा, पी0एन0, झा, ए0के0 विनायक वाणी एवं विनायक सुषमा (2006) : महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।

6– वर्मा, एस0बी0, पॉडे, ए0एन0 एवं जालोदा, एस0के0 (2004) : ग्रामीण विकास, आविष्यकार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर।

7– महिला सशक्तिकरण क्रमगुणित अभिकल्प प्ररचना, रिसर्च जरनल ऑफ सोशल एन्ड साईसेंस 2007 गायत्री पब्लिकेशन्स, रींवा।

8– गॉव की बेटी, रचना अंक 64–65 जनवरी से अप्रेल 2007 म0प्र0शासन उ.शि.वि.एवं म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी का समवेत उपक्रम।